

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 425] No. 425] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2017/कार्तिक 15, 1939

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017/KARTIKA 15, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नौएडा, ६ अक्तूबर, 2017

सं. 14—भा.अ.ज.प्रा. / स्था. / 2 / 2016. — भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

I. सामान्य

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :
- (i) ये विनियम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नित (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2017 कहे जायेंगे।
- (ii) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- II. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नित विनियम, 1992 में तकनीकी सहायक के पद का प्रतिस्थापन निम्नानुसार होगा :--

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद या अचयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीकी सहायक	27* (2017) * कार्यभार के अनुरूप परिवर्तनीय	ग्रुप 'बी'	पे मैट्रिक्स के लेवल 6 में 35400 (प्रवेश लेवल) (पूर्व संशोधित पे बैंड–2, रु. 9300–34800+ग्रेड पे रु. 4200)	अचयनित	30 वर्ष से अधिक नहीं

6554 GI/2017 (1)

सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हता	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नत होने वाले व्यक्ति के संबंध में लागू होगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति क्या है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत क्या है ?	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन के मामले में किस ग्रेंड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है
7	8	9	10	11	12
अनिवार्य : 1. सिविल / यांत्रिकी / मेरिन इंजीनियरिंग / नैवल आर्किटेक्चर में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / यांत्रिकी / मेरिन इंजीनियरिंग / नैवल आर्किटेक्चर में डिप्लोमा के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन में तीन वर्ष के कार्य का अनुभव वांछनीय : डिजाइन अथवा सिविल स्ट्रक्चर में अनुभव / ड्रैजिंग / मेरिन वर्कशाप में काम का अनुभव / अंतर्देशीय जलयानों के डिजाइन से संबंधित अनुभव	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा; जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केंद्रीय / राज्य सरकार / सांविधिक अथवा स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्य करने वाले अधिकारी अथवा (क) नियमित रूप से समान पद पर कार्य करने वाले अधिकारी अथवा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के लेवल—5 में रु. 29200 पर अगले नीचे लेवल के पद (पूर्व संशोधित पे बेंड—1, रु. 5200— 20200+ग्रेड पे रु. 2800) पर 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा उसके समकक्ष; और (ख) कालम—7 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं

शशि भूषण शुक्ल, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 296 / 17]

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.1992 को पत्र संख्या—6—भाअजप्रा / स्था. / 4 / 90 द्वारा प्रकाशित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नित विनियमन, 1992 प्रमुख विनियम हैं। तदुपरांत, दिनांक 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16.03.2016, 22.03.2017 तथा 02.08.2017 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF SHIPPING

(INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

Noida, the 6th October, 2017

No. 14-IWAI/Estt/2/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following regulations, viz:

I. GENERAL

1. Short Title and Commencement:

- (i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion (Fourteenth Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, to the post of Technical Assistant shall be substituted as follows:-

Name of Post	No. of Post(s)	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
	27* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	•	Level 06 Rs. 35400 (Entry-level) in the pay matrix (Prerevised PB-2, Rs. 9300-34800+GP Rs. 4200)		Not exceeding 30 years.

Educational and other qualifications required for direct recruits	and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	probation, if any	recruitment whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Departmental Promotion Committee exists, what is the composition
7	8	9	10	11	12
Essential:	NA	Two Years	By direct recruitment,	Deputation Officers in the Central/State	NA
1. Degree in Civil/ Mechanical/Marine Engineering/Naval Architecture or		Tears	, and the second	Officers in the Central/State Government/Statutory or Autonomous bodies/Public Sector Undertaking:	
equivalent. OR				(a) Holding analogous posts on regular basis,	
Diploma in Civil/ Mechanical/Marine Engineering/Naval Architecture from a recognized institute viz 3 years' experience in an organization for carrying out works in the relevant field. DESIRABLE: Experience in design or Civil structure/experience in dredging an Inland vessels experience in Marine work- shop/experience in design inland vessels.				OR Holding post next below level in the Level 5 Rs. 29200 (Entrylevel) in the pay matrix of 7 th CPC (Pre-revised PB-1 Rs. 5200-20200 +GP Rs.2800) with 3 years' regular service or equivalent; and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under col. 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	

SHASHI BHUSHAN SHUKLA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./296/17]

Foot Note: Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, published in the Gazette of India on 26.08.1992, vide No. 6-IWAI/Estt./4/90 are the principal regulations. Subsequent amendments carried out vide Notifications dated 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011, 16.06.2015, 17.06.2015, 04.12.2015, 16-03-2016, 22-03-2017 and 02-08-2017.